

THE ARMY AND AIR FORCE (DISPOSAL OF PRIVATE PROPERTY)**AMENDMENT BILL, 1999**

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES):

Madam, I beg to move:

That the Bill further to amend the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950, be taken into consideration.

Apart from the one substantive amendment, there are two amendments that arise consequent upon the amendment of two other laws which are referred to in the original Act. There is also a matter of technical substitution. At page one, in line one, for the word fiftieth the word "fifty-first" be substituted, and at page one, in line three, for the figure "1999", the figure "2000" be substituted.

Having said that, I would like to make, Madam Chairperson, a brief observation in regard to this Bill. This Bill was introduced in the Rajya Sabha on 25th February. It was referred to the Standing Committee on 9th March, 1999. Consequent upon the dissolution of the Twelfth Lok Sabha, the Committee could not take this into consideration. It was then referred to the Standing Committee on Defence on 2nd February, 2000, and the Report of the Standing Committee on Defence on the Bill was tabled in the Rajya Sabha on 10th May, 2000.

The original Bill of 1950 was amended in 1970. Section 10 of this Act is what is now sought to be amended. What we are seeking to do through this amendment is to raise the amount of money where a family of any deceased Defence personnel belonging to these two Services, the Army and the Air Force, was required to produce a probate, etc., in order to avail of the monies which were due to them. We seek to amend this particular Section by increasing the amount from Rs.10,000/- to Rs. 2,00,000/-.

The Bill, as I said, Madam Chairperson, was examined by the Standing Committee and the Standing Committee has adopted this Bill

without any amendment. I commend it to the House for discussion; and, subsequently, for adoption.

The question was proposed.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदया, आज जब पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है, ऐसे दिन यह आर्मी एण्ड एयरफोर्स (डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी) अमेंडमेंट बिल, 1999 प्रस्तुत करना बहुत सामयिक भी है और एक सराहनीय कदम भी है। महोदया, आर्मी एण्ड एयरफोर्स (डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी) ऐक्ट, 1950 के सेक्शन दस में यह प्रावधान था कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसका निधन हो गया है उसके वारिस को धन व संपत्ति का दावा करने के लिए जो उपबंध लागू होता है और जहां धन की सीमा 10,000 से अधिक है वहां मृत व्यक्तियों के वारिसों को कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक माना गया है। न्यायालय द्वारा भी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती रही है उस संबंध में हमारा यह अनुभव रहा है कि इसमें काफी समय लगता है। प्रक्रिया भी बड़ी...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : एक्सक्यूज मी महोदया, पचौरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और यह आर्मी के लोगों से संबंधित विधेयक है। एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर हम इसे विदाउट डिस्कशन पारित कर दें।

श्री सुरेश पचौरी : मैंने कहा है कि यह सामयिक भी है और सराहनीय भी लेकिन आप क्या अर्थ समझे ?

उपसभापति : नहीं-नहीं वे आपकी तारीफ कर रहे हैं पहली बार।

श्री संघ प्रिय गौतम : आपकी तारीफ की है मैंने, आपकी तारीफ...(व्यवधान)...

उपसभापति : वे आपकी तारीफ कर रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि क्योंकि इस बिल में कोई कंट्रावर्सी नहीं है अगर सब लोग सहमत हैं तो कह दें कि ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन दो-तीन बातें इस बिल पर चर्चा करते समय मैं रखना चाहता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। जिन दिक्कतों का सामना आर्मी ऑफीसर्स के परिवार वालों को करना पड़ रहा है उनका जिक्र मैं आज इस अवसर पर करना चाहूंगा। अगर इस बिल पर चर्चा करते समय आप अनुमति दें तो मैं कह दूँ, नहीं तो पूरा हाउस बगैर चर्चा के...(व्यवधान)...

उपसभापति : नहीं-नहीं आप जरूर कहिए।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा था कि उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए आर्मी पर्यवहार के वारिसों को काफी टेढ़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता रहा है। यह प्रक्रिया बहुत खर्चीली और बहुत कष्टप्रद भी रही है। कष्टप्रद इसलिए

बोल रहा हूँ क्योंकि कोर्ट में कई बार कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस बात का अनुभव हम लोगों को है और खासकर के जब आर्मी पर्सनल्स के वारिसों को उन दिक्कतों का सामना करना पड़े तो यह बात बहुत कष्टप्रद होती है। इसे सिम्प्लीफाई करने के लिए धारा सात और धारा चौदह में जो अमेंडमेंट करने का प्रोविजन इस बिल के माध्यम से रखा गया है वह निस्संदेह बहुत उपयोगी और सार्थक होगा क्योंकि जहां एक तरफ आर्मी पर्सनल्स के वारिसों को इन दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी वहीं इस प्रक्रिया में जो देरी होती है वह भी नहीं हो पाएगी और अविलंब उन प्रकरणों का एक निश्चित समय सीमा के अंदर निबटारा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने में बहुत सारी शर्तों को दर्शाया गया है इसलिए इन सब चीजों से भी उनको मुक्ति मिल सकेगी।

एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बिल में है वह यह है कि इसमें राशि की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 2,00,000 कर दी गई है। पहले जो मूवेबल प्रापर्टी और मनी का प्रोविजन था, ऐसा अमाउन्ट जो बैंक और पोस्ट आफिस में है, उस आर्मी पर्सनल की ऐसी राशि जो उसकी मृत्यु के समय बैंक में जमा थी, ज्वैलरी और उसकी अन्य सम्पत्ति का 1950 के ऐक्ट में प्रावधान था। हम इससे संबंधित मामलों के बारे में संशोधन करके यदि उस राशि को दस हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपए करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यह भी एक बहुत प्रशंसनीय कदम होगा। इस प्रकार का प्रोविजन पहले भी कई बार ऐक्टों में किया गया है। जैसे जो नेवी ऐक्ट 1957 था, उस नेवी पर्सनल ऐक्ट में इस प्रकार का संशोधन किया गया है। साथ ही और भी जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐक्ट 1963 है, मेंटल हेल्थ ऐक्ट 1987 है उसमें भी इस प्रकार का प्रावधान करके लोगों को अवसर प्रदान किया गया है। इसलिए इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करके कोई नई विधि या नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न उठता है कि इससे क्या लाभ होगा और इससे क्या विसंगतियां आ सकती हैं। जैसा कि मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा है कि जो आर्मी पर्सनल के वारिस हैं इससे उनको बहुत समय बच जाएगा और जो लीगल कम्प्लीकेशंस हैं, जिस लीगल कम्प्लीकेशंस की वजह से उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, उन्हें इसके लिए बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, इन सब बातों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा सरकार ऐसी अवस्था में होगी कि जो मूवेबल प्रापर्टी है, मनी है वह एक साथ जो हमारे आर्मी पर्सनल की विधवायें हैं, उनको और उनके अन्य वारिसों को वगैर किसी विलम्ब के रिलीज करने में आसानी होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह अपने आप में एक अनुकरणीय कदम है। जैसा मैंने बताया कि कुछ विसंगतियां इसमें हैं इसलिए हमारा यह दायित्व बन जाता है कि हम उन विसंगतियों के बारे में जरूर विचार करें। आज के ही एक समाचार-पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई है कि मध्य प्रदेश, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहां की वार विडो फास्ट पर बैठी हैं, फास्ट टु डेथ और उन्होंने यह घोषणा की है कि जो उनसे प्रामिस किए गए हैं और जो एक्स-ग्रेशिया 10 लाख रुपया उन्हें दिया जाना है वह उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है। इसलिए वह फास्ट पर बैठी हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वह लांसनायक दिलीप लिंगवाल की विधवा शोभा लिंगवाल हैं जो इंदौर से संबंधित हैं। ऐसे प्रकरण - जहां कारगिल विजय दिवस को हम बड़े फख के साथ मना रहे हैं वहां कारगिल में जो लोग शहीद हुए उनकी विधवाओं की यह स्थिति है। इस बारे में भी हम लोग विचार करें। यद्यपि यह इस बिल से सीधा संबंधित मामला नहीं है लेकिन इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

पैरेंट्स का जो मामला बिल में आया है हमारा अनुभव रहा है कि जब शहीद की पत्नी विधवा हो जाती है और अगर वह अपनी मदर-इन-ला या फादर-इन-ला को छोड़कर कहीं और रहने लगती हैं तो उसकी सम्पत्ति को अर्जित करने की भावना से दूसरे लोग उन्हें अपनाना चाहते हैं। इससे इनके जो बच्चे होते हैं उनके लालन-पालन में, उनकी एजुकेशन में बहुत दिक्कतें होती हैं। इस सिलसिले में भी जरूर विचार करें ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। इस बिल के मामले में बहुत विस्तार से स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस में चर्चा हुई है और वह जिन निष्कर्षों पर पहुंची है मैं उन सब बातों की पुष्टि करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ।

उपसभापति : आप सब को विजय दिवस की मुबारकवाद और शुभकामनायें। जो बात इन्होंने उठाई है मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारे जवान कारगिल या किसी भी लड़ाई में मारे गए हैं उनके बच्चों के पालन-पोषण उनकी एजुकेशन के लिए सरकार को कोई ट्रस्ट बनाने की कोशिश करे। मैंने आपको इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी कि कोई इस तरह का ट्रस्ट बनाए तो बच्चों की जिंदगी भी सुधर सकती है और लोग गलत तरीके से उस रुपये का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

SHRI B. P. SINGHAL (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairperson, this Bill is an amendment to the parent Act, and that parent Act deals with the disposal of the property of those who have been declared as deserters or who have died a natural death or, otherwise, who are not there any more. The parent Act was enacted to see to it that the entire responsibility of paying all the dues that belonged to an Army or an Air Force personnel devolved on the Commanding Officer; that duty was devolved on the Commanding Officer to collect that amount and then have it paid to the heirs whose names were already mentioned in the officer's service record. Now, why is this amount sought to be increased? In 1954, when I joined the IPS, my salary was Rs.350/-. At that time, a constable's or a jawan's salary used to be so low that the total cumulative gratuity, PF, did not, perhaps, come to even Rs.10,000/-. Today, the salaries have gone up and, naturally, all these amounts will be much more. So, in keeping with that, the limit has been increased to Rs.2 lakhs and I hope that this limit will be sufficient to take care of most of them. Hon. Member, Shri Pachouri, raised a very relevant point about war-widows. But, that is a totally different subject. We know from Press reports that the Army is already seized of the issue, about the kind of problems that parents are experiencing or even the wives are experiencing. I think they are evolving some methods to ensure that the money is given to the members of the family of the deceased. In the title of the Bill also, the word '2000' needs to be added. The hon. Minister is, of course, moving an amendment in this regard. The only point here was about the change of names of Acts because, technically, the word used is '1913' of the Administrator General's Act; it was amended in 1963; therefore, it was changed to 1963. Similarly, the Indian Lunacy Act, 1912, was amended to become the Mental Health

3.00 P.M.

Act of 1987. These changes are only technical. But one request that I would certainly like to make before I sit down, after supporting this Bill with all my heart, is that there should be some sort of a time-frame within which the Army authority should be able to pay the dues belonging to the members of the family of the diseased. Just as today there are certain departments who give the Pension Payment Order to a person right on the day he proceeds on retirement. Earlier, it used to take a very long time. Today, the departments start preparing the papers well-in-advance and the day the person retires, he gets the Pension Payment Order. In this case, of course, when a man is going to desert or when he dies, it is not known. But a time-frame should be fixed so that every Commanding Officer should have that pressure on him that within this time-frame that he has to collect the money and give it to the family members of the diseased or the deserter or to the heirs of that person.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam Deputy Chairperson, at the very outset, I would like to thank the Defence Minister for the fact that the change, the only major substantial part of the Bill, increasing the amount from Rs. 10,000 to Rs. 2 lakhs is not the unilateral recommendation of the Government, but it comes as a part of the implementation of the unanimous recommendation of the Standing Committee. I only hope that if all the Ministries were so caring about the Standing Committees, maybe, this entire exercise that we normally have in Parliament would become all the more meaningful because a similar kind of consideration is always not shown by the Government insofar as responding to the unanimous recommendations of the Standing Committees is concerned.

Secondly, I do not wish to repeat what my colleagues have already stated because the Bill is of a very technical nature, and it is a part of the general updating process that we have to take recourse to in Parliament. But, I have to make one point about this amount of money. It is dependent on so many other circumstances. So, in the Bill itself, if we could provide for some kind of flexibility that on such issues we don't have to come back, time and again, to Parliament, but some self-adjusting mechanism could be evolved where such enhancements could be linked to certain indexing with the price and other factors, and after a periodic review, if any modifications have to be made, they could be made

automatically and the Parliament could be informed of that. If that kind of flexibility could have been built into the Bill, then perhaps, that would really help the work of Parliament, and, we could concentrate on more important things at hand.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Madam Chairperson, I agree with the sentiments of the Members of this House that the Bill is passed without any amendment. First of all, I would like to congratulate the Defence Minister for bringing in this amendment. However, I would like to seek a small clarification. This Bill provides for the prescribed authority to pay any person appearing on such authority to be entitled to such property and money, without requiring the production of any probate, letter of administration, succession certificate, etc. What happens is this. When a junior officer or a senior commissioned officer joins the Army or the Air Force, at that time, he is unmarried. So, normally, at that time, in his will, the name of the parents is given. In case he dies after getting married, then who would be entitled to his dues, his wife and children or his parents? I would like to know from the Defence Minister as to how the interest of the deceased person's wife and children is protected.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam Chairperson, I totally support the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Amendment Bill, 1999. I congratulate the Defence Minister for having brought this Bill for the approval of this House. Madam, even though the Bill seeks to get ratification from this august House only for one or two sections, the effects of this amendment will be very appreciable.

Madam, when it becomes an Act, a large section of the people who are deprived of getting the money from Defence, will be able to get the benefit. This is only to facilitate quicker disposal of the payment of the moveable property and cash, if any, to the legal successors of the personnel. Madam, I would like to know the amount not disbursed so far. I hope, the hon. Minister would share this information with the august House. Furthermore, when this Bill is brought, it is only with a good intention to help those who have served the nation without any hesitation.

Madam, I would like to add one more thing which has not been mentioned in this Bill. For example, I take the retirement benefits. For being entitled for retirement benefits, they have to complete 15 years of

service. Some people in the Army, Air Force or Navy, quit in between because of some reasons, maybe explainable or unexplainable. Sometimes, they themselves resign. Sometimes, they are made to go out. Some would have completed more than 80% of their service period. For example, for retirement, if the service period is 15 years, they would have served 13 or 13 1/2 years, but, for some reason, they would have come out of the service. Is there any possibility to help the wards of those who have completed 80% of their service period? I do not say that you have to immediately give their pension. You have to adhere to the rules and regulations prevailing in the country. But, at the same time, in the case of the wards, particularly for their education, of those who have served the nation, in the Army or the Air Force, who have gone out of the service after having served for 12 or 13 years, why does not the Ministry of Defence think of supporting them? I do not say this for pension, but for education of their wards. Some wards of the personnel who have left service are not able to get any legal benefits. I do not ask for monetary benefits to them and other things, but for supporting the education of the wards who have served in the Army or the Air Force. If the Government comes forward to help them, at least, their next generation will be benefited. I hope, this will be taken into account when he comes up with other amendments, if any, to see that the wards of the people who serve the nation are benefited. This benefit should be extended further, along with the other benefits which are mentioned in the Bill.

With these words, I conclude. Thank you, very much, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is what exactly I said. Either there should be a Trust or some insurance, like, educational insurance.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, I agree with you.

श्री गया सिंह (बिहार) : मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज कारगिल दिवस के दिन ही एक अच्छे बिल को हमारे सामने लाये हैं। इसलिए इस पर कोई बहस की जरूरत हम नहीं समझते। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज कारगिल दिवस के अवसर पर जो चर्चा माननीय पंचौरी जी ने की है, मैं उसका समर्थन करते हुए चाहूँगा कि मंत्री जी हाउस को यह आश्वासन दें कि अगले दिवस तक कम से कम कोई भी जो कारगिल में शहीद हुए या विकलांग हुए, उनके परिवारों को जो सरकार ने घोषणा की थी उसको तो पूरा करेंगे ही, साथ ही साथ चैयरपर्सन ने जिस बात की चर्चा की है, उस पर भी कुछ कहें तो बहुत अच्छा होगा और हमारी आर्मी के लिए कुछ नई

चीज, चाहे वायुसेना में हों, चाहे सेना में हों या दूसरे जो एलाइड हैं, उनके लिए कोई अच्छी घोषणा आज अगर आप करते, क्योंकि बाहर सब जगह यह दिवस मना रहे हैं, तो पूरे देश में आर्मी के साथ-साथ जनता में भी यह मैसेज जाता कि जिस कारगिल ने इस सरकार का निर्माण कराया उसके लिए आज सेना के लोगों को उत्साहित करने के लिए हमारे मंत्री जी ने आज कुछ घोषणा की है। धन्यवाद।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam, while welcoming this Bill, I would like to point out that there are certain difficulties in passing this Bill as it is. In the Statement of Objects and Reasons it has been mentioned, "any person appearing to such authority to be entitled to such property and money, without requiring the production of any probate, letter of administration, succession certificate or other such conclusive evidence of title." Madam, here comes the problem. There is no doubt that this Bill has been brought with a laudable object to avoid expenses and troublesome and time-consuming procedure. But the difficulties and problems which are going to be faced have also to be taken into consideration while passing this Bill. Under the Army Act, nomination by an Army person is provided. An Army person can nominate anybody to receive his assets. Now, nominee need not necessarily be a legal heir. Nominee does not necessarily mean all the legal heirs. Only one person can be nominated. He may be or may not be a legal heir. Under the Insurance Act, the position is that the nominee is only a legal agent. He has to collect the amount and distribute it to the legal heirs. Now, that provision itself has to be taken into consideration. Madam, under the Hindu Succession Act, wife, son, daughter and mother are the legal heirs of a Hindu. But if a nomination is made in favour of a particular person and that particular person receives that amount but does not pay it to the legal heirs, then what will be the position? As a matter of fact, in our place North Arcot in Tamil Nadu every family has made a contribution to the Army because from each family at least one member is serving in the Army. Yesterday it was reported in the Press, "Kargil martyr's parents in distress: The parents of a Kargil martyr in Poosimalauppam here have complained of neglect by the Government in terms of providing proper assistance to them. The parents, who met Housing Minister K. Pichandi recently, said that the Government had given financial assistance and gas agency to Poongavanam, the widow of the deceased Kargil martyr Palani, and had not taken any steps to help them who were in dire straits. The parents also said that Poongavanam had threatened them with dire consequences if they came for help to her." Madam, this is the situation.

If money is given to any one legal heir and that legal heir does not distribute it to other legal heirs who are legally entitled to it, then what will be the position? Sometimes there are rival claimants also. Several persons put forth their claims. For example, the status of a wife and a son or sons also comes. There may be persons saying that they are the legal sons. As a matter of fact, in 1950 when this Bill came up for discussion, the question of an adopted son was taken into consideration. *...(Interruptions)..*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have not heard any Member admitting on the floor of the House that he is an illegitimate son. *...(Interruptions)..*

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Shri Margabandu has a very peculiar perception in this regard. *...(Interruptions)..*

SHRI R. MARGABANDU: Madam, there will be disputes if you simply say that it will be without requiring conclusive evidence of the title. I feel there will be some difficulties in this. Madam, I suggest that in case of dispute there should be some device. In case of a forged will prepared, there should be some authority to decide in case there is a dispute without going to the court which is very time consuming. This aspect can be considered so that there is proper distribution of this money to all the legal heirs. With these words, I conclude, Madam. Thank you.

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, मैं मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ कि आज कारगिल के विजय दिवस पर उन्होंने यह विधेयक पेश किया । मैं उनसे सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूँ कि आप इसे 10,000 से 2,00,000 की मर्यादा तक सीमित कर रहे हैं, यह 2,00,000 की जो मर्यादा है इसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि आज के प्राइस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों बाद यह भी कम पड़ जाएगी । तो मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय पर गौर करिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा आपका अभिनन्दन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

उपसभापति : वैरी गुड । यह बिल तो कल ही आ जाता, अगर आपने शोर नहीं मचाया होता ।

श्री सतीश प्रधान : आज ही आना था, इसका मुहूर्त आज के लिए ही अच्छा था।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is always a silver lining behind the dark cloud.

श्री सतीश प्रधान : और क्योंकि कल अच्छी घटना होनी थी, वह मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा था।

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं मंत्री जी को बधाई देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ और यह अनुरोध करता हूँ कि चाहे शस्त्र सेना हो, चाहे वायु सेना हो, हर एक के सर्विस काल में सेवा-पुरस्तिका बनती है, उस सेवा-पुरस्तिका में दर्शाए गए वारिसों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक शंका का समाधान मैं मंत्री जी से चाहता हूँ कि अगर हमारा मृतक सैनिक अविवाहित है, उसके माता-पिता भी जिंदा नहीं हैं, उस दशा में अगर उसका अविवाहित भाई या अविवाहित बहन है तो क्या वे उसके उत्तराधिकारी होंगे या नहीं? मंत्री जी कृपा करके इस स्थिति को स्पष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुनः समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपसभापति महोदया, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। मैं एक-दो बातों को स्पष्ट भी करना चाहता हूँ। यह सही है कि यह बिल आज यहां पर चर्चा के लिए आया लेकिन यह परसों आना था। यह तो योग है कि इसको आज यहां पर आना था, शायद कल और परसों दो दिन सदन में इस तरह से कार्रवाई नहीं चल पाई जिससे कि यह बिल उस दिन पेश हो पाता। इसलिए, उपसभापति महोदया, जैसा आपने कहा कि कभी-कभी योग कुछ ऐसा होता है कि उसका स्वागत करना भी अच्छा लगता है, यह बिल्कुल सही है और यही इस बिल के संदर्भ में हो रहा है।

माननीय सुरेश पचौरी जी ने इंदौर में हमारे एक शहीद जवान की विधवा का जो वहां पर अनशन चल रहा है उसका जिक्र करते हुए उसकी ओर हमारा ध्यान दिलाया। अनेक लोगों को जो इस प्रकार के पैसे मिलने चाहिए थे, वे बकाया हैं, यह यहां पर इंगित किया गया। जहां तक रक्षा मंत्रालय का प्रश्न है, कारगिल के युद्ध में जो भी जवान शहीद हुए, उनमें से एक-एक का जो भी देन था, मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर या नेशनल डिफेंस फंड के माध्यम से या आर्म्ड फोर्सिस सेंट्रल वेलफेयर फंड के माध्यम से, जो भी उनके लिए तय किया गया था, वह सारा पैसा उनकी मृत्यु के एक महीने के भीतर उनको देने की व्यवस्था की गई थी। उसमें हमने लगभग शत-प्रतिशत कामयाबी पाई है। कुछेक केसेज में जिन के बारे में संपूर्ण तौर पर इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई थी, उनमें कुछ डिले हुआ था लेकिन वह भी दो-एक महीने से अधिक नहीं हुआ था। इसलिए केन्द्र सरकार की ओर से कोई भी चीज बकाया नहीं है। इंदौर का जो केस है, वह राज्य सरकार ने जो ऐलान किया था कि जो सैनिक कारगिल में शहीद हुए, उनके परिवारों को 10 लाख रुपया दिया जाएगा, उससे संबंधित है।

श्री सुरेश पचौरी : मैंने निवेदन किया था कि केन्द्र सरकार इस संबंध में पहल करे। मैंने यह नहीं कहा कि यह केस केन्द्र सरकार से संबंधित है। अगर आप पहल करें तो अच्छा रहेगा।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : इस मामले में सभी राज्य सरकारों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ।

श्री कैलाश जोशी (मध्य प्रदेश): महोदया, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य श्री सुरेश पचोरी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने सहायता नहीं दी है तो केन्द्र को उनसे कहना चाहिए । केन्द्र क्या कहेगा ? वास्तव में यह जो महिला अनशन पर बैठी हुई हैं, उनको राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था, 10 एकड़ जमीन देने का आश्वासन दिया था, और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वे आश्वासन पूरे नहीं हुए । इसलिए उन्होंने अनशन किया । आप केन्द्र सरकार से कहते हैं कि राज्य सरकार को कुछ करने के लिए कहिए । राज्य सरकार की स्थिति तो आपने देखी है । कारगिल संघर्ष के दौरान शहीद हुए जवानों की सहायतार्थ जो धनराशि वहां एकत्रित हुई थी, वह धनराशि तक राज्य सरकार ने सेना के मुख्यालय में नहीं भेजी और अपने पास रख ली ।

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान): यह क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री संघ प्रिय गौतम : यह प्वाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है ।

उपसभापति : यह प्वाइंट ऑफ सजेशन है । No interference into the matter of the State.

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उस समय मौखिक तौर पर और लिखित तौर पर 2 बार सभी राज्यों को यह सूचना दी गई थी कि जो वचन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दिए हैं, उनकी पूर्ति वे अवश्य करें । इस मामले में जैसा कि आपने जिक्र किया कि मौखिक तौर पर हमारी तरफ से जो संदेश उनके लिए जाना चाहिए, वह संदेश हम उन्हें अवश्य देंगे ।

महोदया, बच्चों की पढ़ाई की बात भी यहां पर उठाई गई है । हालांकि इस बिल से उसका संबंध नहीं है लेकिन चूंकि ये बातें उठाई गई हैं इसलिए मैं यह बतला दूं कि कारगिल युद्ध में मारे गए जवानों के परिवारों, बुरी तरह घायल हुए जवानों और आंशिक तौर पर घायल हुए जवानों को क्या सुविधाएं देनी चाहिए, इस बारे में कुछ निर्णय लिए गए हैं । उन निर्णयों के अनुसार मृतक जवानों के दो बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है और उसके लिए एक-एक बच्चे के नाम पर एक-एक लाख रुपया जिस रेजीमेंट से उस जवान का संबंध था, उस रेजीमेंट को दिया गया है और उसके ब्याज से उस बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाया जाएगा और जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो उस लड़की या लड़के को वह एक-एक लाख रुपया दे दिया जाएगा । यह इंतजाम हमने किया है । बड़ी संख्या में होस्टल का इंतजाम हो रहा है और कुछ तो ऐसे लोगों ने भी इसमें मदद की है जैसे इस सभागृह में एक माननीय सदस्य हैं जिन्होंने अपने अखबार के जरिए पैसे भी जुटाए थे और उस पैसे से होस्टल बनाने का कार्य आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है । हमें आशा है कि यह साल पूरा होने तक या अगले साल तक यह होस्टल बन जाएगा । मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सरकार की तरफ से,

नेशनल डिफेंस फंड में लोगों ने दिए हुए पैसे के जरिए, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड को लोगों ने दिए हुए पैसे के माध्यम से और अनेक लोगो ने और विशेषकर अखबारों ने अपनी तरफ से जो भी पैसे जुटाए और उसका जिस प्रकार से ऐसे कार्य के लिए आबंटन किया है, तो स्थिति यह है कि आज कहीं भी शिकायत करने की गुंजायश नहीं बची है। अब एक प्रश्न जरूर यहां पर छेड़ा गया कि परिवार में जहां पत्नी और बच्चे हैं और वहां मां-बाप भी हैं। ऐसा पाया गया है कि जब पत्नी और बच्चों के हाथ में पैसा जाता है तो फिर मां-बाप का कोई ख्याल नहीं करता है। चूंकि यह बात पहली बार नहीं है यह पहले से ही चलती रही है, हालांकि 1996 के पहले इस प्रकार के पैसे का इतना बड़ा प्रश्न नहीं था क्योंकि आज जो रकम दी जा रही है उसमें एक तो दस लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है, मकान खरीदने या जो मकान है उसको सुधारने के लिए पांच लाख रुपए हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए दो लाख रुपए हैं। फिर सेंट्रल वेलफेयर फंड से, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड से तीस हजार रुपया है। इस तरह से जो पैसे का आबंटन हो रहा है तो ऐसे विवाद कुछ जगह पर अधिक हुए हैं और जब ये विवाद सामने आ गए तब यह भी निर्णय लिया गया कि जो उनके मां-बाप हैं उन्हें भी एक विशेष राहत देने का काम नेशनल डिफेंस फंड की ओर से हो जाए और साल में एक लाख बीस हजार रुपया देने का पहले से प्रस्ताव था और अभी-अभी जब नेशनल डिफेंस फंड की मीटिंग हुई है तो उसे हम दो लाख पर ले गए हैं। तो इंतजाम हर स्तर पर किया गया है और हम सदन को इस बात पर बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को या जो अति घायल होकर पड़े हुए हैं उन्हें या उनके परिवार को हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे।

महोदया, इसमें मुझे एक और बात कहनी है कि इस कानून के बुनियाद को ही लेकर या इसमें किसी प्रकार की कुछ ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं इसलिए यहां पर विशेषकर माननीय मार्गबन्धु जी ने जो बात छेड़ी और अन्य सदस्यों ने भी जो बात यहां पर रखी है मैं इतना ही कहूंगा कि जहां तक यह जो कानून है यह 1950 से चला हुआ कानून है, यह किसी प्रकार के कम्पेंसेशन आदि से जुड़ा नहीं है, उनका जो बचत का पैसा जहां-तहां पड़ा था केवल उस पैसे तक मामला सीमित रहा है और ऐसी कोई शिकायत या कोई परेशानी पिछले 50 सालों में नहीं आई है। यह जो संशोधन है यह एक सीमित प्रश्न पर है जहां दस हजार से ऊपर अगर उनका पैसा चाहे वह मृतक हुआ या किसी कारण हट गया या चला गया और उसकी कुछ बचत है पैसे के रूप में तथा अन्य तौर-तरीकों से भी तो यह किस के हाथों में जाएगी, इसको लेकर जो प्रोबेट की जरूरत पड़ती थी दस हजार से अधिक रकम होने पर, तो अब दो लाख रुपए तक प्रोबेट की जरूरत नहीं है, केवल यह इंतजाम हम यहां पर कर रहे हैं। यह विधेयक दस हजार से दो लाख रुपए तक पहुंचाने का है। इस विधेयक से आज तक जो काम चला है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत हम लोगों के सामने नहीं आई है और भविष्य में भी नहीं आएगी ऐसा मुझे विश्वास है। मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We understand that this Bill is not related to the work which you are doing -- compensation and support to the widows and children. But we wanted an occasion to tell you something. That's why the Member made use of this occasion, on this very special day, to tell you about the problems or give suggestions in respect of the war widows and their children, specially. We know that it

is about the money which has been left by the people who have died. It is about that.

The question is:

"That the Bill further to amend the Army and Air Force (Disposal Of Private Property) Act, 1950, be taken into consideration".

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 1. There is one amendment by Shri George Fernandes.

CLAUSE 1: SHORT TITLE

SHRI GEORGE FERNANDES: Madam, I beg to move:

"That at page 1, line 3, for the figure "1999" the figure "2000" be substituted".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: On the Enacting Formula, there is one amendment by the Minister.

ENACTING FORMULA

SHRI GEORGE FERNANDES: I beg to move:

"That at page 1, line 1, for the word "Fiftieth: the world "Fifty-first" be substituted".

The question was put and the motion was adopted

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Minister may please move the Bill, for passing.

SHRI GEORGE FERNANDES: Madam, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have received a letter from Mr. Ramesh Bias --now that you are here, I welcome you back(*Interruptions*) Safe..*(Interruptions)* and sound.

SHRI T.N. CHATURVEDI: Madam, even before you could do it, Dipankar Mukherjee has already done it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, do you want to take up the Indian Power Alcohol (Repeal) Bill, 2000, or, the Chemical Weapons Convention Bill, 2000?

AN HON. MEMBER: We can take both of them together.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Power and alcohol both together! You can imagine what will happen to Mr. Prabhu today.

THE INDIAN POWER ALCOHOL (REPEAL) BILL, 2000

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SURESH PRABHU) : Madam, I move:

*That the Bill to repeal the Indian Power Alcohol Act, 1948, be taken into consideration. *

The question was proposed.